1042/DAN/DS/20
15-12-2020

MO(L)
14.12.2020

राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प.10(216) कृषि/ग्रुप–2/1974 जयपुर, दिनांकः - 9 DEC 2020

अधिसूचना

चूंकि राजस्थान सरकार भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अधीन सार्वजनिक प्रयोजन के लिए कृषि उपज मण्डी समिति, प्रतापगढ के मुख्य मण्डी प्रांगण के विस्तार हेतु निम्नांकित भूमि अर्जन का आशय रखती है।

अतः राजस्थान सरकार उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तावित भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु **Center For Development Communication & Studies (CDECS) 133 Devi Nagar, Nannu Marg, New Sanganer Road Sodala, Jaipur 302019 Rajasthan (INDIA)** को नियुक्त करती है। उपरोक्त एजेन्सी/संस्था द्वारा प्रस्तावित भूमि अर्जन से प्रभावित क्षेत्र मे सामाजिक समाघात निर्धारण राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के प्रावधानानुसार किया जावेगा।

1. परियोजना विकासकर्ता का नाम–कृषि उपज मण्डी समिति प्रतापगढ
2. प्रस्तावित परियोजना–कृषि उपज मण्डी समिति प्रतापगढ के मुख्य मण्डी प्रांगण का विस्तार।
3. अर्जन के लिये प्रस्तावित भूमि का विवरण–

क्र. स.	जिला	तहसील	गॉव	खसरा नं.	रकबा	भूमि का वर्ग	भूमि का स्वामित्वाधिकार
1	प्रतापगढ	प्रतापगढ	प्रतापगढ	769	0.62	बी–I अडान– I	श्री रामचन्द्रजी स्थानदेह
2	"	"	"	770	0.14	बी–I	"
3	"	"	"	771	0.01	धामनी	"
4	"	"	"	772	1.21	अडान–I बी–I धामनी	"
5	"	"	"	773	0.13	धामनी	"

4. परियोजना क्षेत्र–प्रतापगढ जिले में मुख्यालय पर स्थित कृषि उपज मण्डी समिति प्रतापगढ के मुख्य मण्डी प्रांगण विस्तार के लिए नगर परिषद् क्षेत्र में मन्दिर श्री रामचन्द्रजी स्थानदेह की भूमि 2.11 हैक्टर।
5. प्रभावित क्षेत्र–प्रतापगढ में मण्डी प्रांगण के विस्तार परियोजना में श्री रामचन्द्रजी स्थानदेह की 2.11 हैक्टर भूमि का अवाप्त किया जाने वाला क्षेत्र है।
6. सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य उद्देश्य–
   (a) प्रभावित संबंधित पक्ष को समुचित प्रतिकर उपलब्ध कराने के साथ–साथ उनका समुचित पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन सुनिश्चित करना।
   (b) भूमि अवाप्ति से संभावित सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों की पहचान करना और ऑनसाइट क्षेत्र की जांच, जन सुनवाई और परामर्श के माध्यम से प्रभाव मूल्यांकन करना।
   (c) भूमि अवाप्ति से संभावित सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावों को प्रभावित व्यक्तियों के साथ साझा करना तथा सकारात्मक प्रभावों में अभिवृद्धि करना तथा नकारात्मक प्रभावों की तीव्रता को कम करना।
7. सामाजिक समाघात निर्धारण के अन्तर्गत महत्वपूर्ण क्रियाकलाप–
   (i) परामर्श
   (ii) सर्वेक्षण
   (iii) सार्वजनिक सुनवाई

800

8. ग्राम सभा या नगरपालिका या यथास्थिति नगरनिगम और/या भू–स्वामी की सहमति अपेक्षित है– हां
9. सामाजिक समाधात निर्धारण प्रारंभ दिनांक– अधिसूचना जारी होने की दिनांक से
10. सामाजिक समाधात निर्धारण पूर्ण होने की समय सीमा– अधिसूचना जारी होने की तारीख से 06 माह की अवधि में पूर्ण किया जायेगा।
11. सामाजिक समाधात निर्धारण के अन्तिम प्रदेय–
    (i) सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट
    (ii) सामाजिक समाधात प्रबन्ध योजना
12. सामाजिक समाधात निर्धारण के अन्तिम प्रदेय पंचायत या यथास्थिति नगरपालिका, जिला कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी और तहसीलदार के कार्यालयों में तथा कृषि विपणन विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध होगी।
13. सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन के दौरान प्रपीड़न या धमकी का कोई प्रयास कार्यवाही को अकृत और शून्य बना देगा।
14. सामाजिक समाधात निर्धारण इकाई सम्पर्क सूचना–

Dr. Upendra K.Singh
CEO Cum Member Secretary(Mob-9950124028)
Center For Development Communication & Studies (CDECS)
133 Devi Nagar, Nannu Marg, New Sanganer Road Sodala,
Jaipur 302019
Rajasthan (INDIA)
Email-cdecsjpr@gmail.com

राज्यपाल की आज्ञा से

(बृज गुप्ता)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राज. जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ ।
2. प्रमुख शासन सचिव , माननीय मुख्यमंत्री महोदय (माननीय मंत्री महोदय कृषि विपणन) राजस्थान सरकार जयपुर
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव कृषि विभाग।
4. जिला कलक्टर, प्रतापगढ़।
5. निदेशक, कृषि विपणन विभाग, राज. जयपुर।
6. क्षैत्रीय संयुक्त निदेशक, कृषि विपणन खण्ड उदयपुर।
7. सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, प्रतापगढ़।
8. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव